



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

11/553
11.6

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, प्रतापगढ़ आगार

क्रमांक:- मु0प्र0/प्रताप./वित्त/2020/

दिनांक:-

निविदा सूचना

वाहनों का सरमत कार्य जॉब वर्क बेसिस पर Out sourcing आधार पर करवाने हेतु राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012-13 की धारा 36 एंव नियम 29 के अनुसार दर संविदा करने हित स्थानीय स्तर से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं।

निविदाएँ 29.06.2020 को आमन्त्रित की जावेगी। निविदा प्रपत्र इसी दिन आगार कार्यालय में राशि 200/- ₹0 एंव धरोहर राशि 15000/-₹0 जमा कराकर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगे तथा 14:00 बजे तक बॉक्स में डाले जा सकेंगे। निविदाएँ आगारीय कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने 15:00 बजे इसी दिन खोली जावेगी।

मुख्य प्रबन्धक
प्रतापगढ़ आगार

क्रमांक:- मु0प्र0/प्रताप./वित्त/2020/ ६३ दिनांक:-
०८.०६.२०२०

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सुचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- ✓ 1. श्रीमान् उप महा प्रबन्धक (आई.टी.), रा०रा०प०प० निगम, मुख्यालय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना निगम वेबसाईट पर उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
2. श्रीमान् कार्यकारी प्रबन्धक (विज्ञापन), रा०रा०प०प० निगम मुख्यालय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
3. नोटिस बोर्ड, नगर परिषद/जिला कलेक्टर/ निगम बस स्टैण्ड प्रतापगढ़ आगार/नगर परिषद बस स्टैण्ड, प्रतापगढ़।
4. निजी पत्रावली।

He/12
मुख्य प्रबन्धक
प्रतापगढ़ आगार

राजस्थान राज्य परिवहन निगम, प्रतापगढ़ आगार।

निगम के आगारो की वाहनो का रख रखाव व मरम्मत सम्बन्धी कार्य
अनुबन्ध / एएमसी आधार पर करवाये जाने की नियम व शर्तें

- वाहन मरम्मत मे काम आने वाले राष्ट्री रप्येर पार्टस निगम द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे। आफ रोड वाहनो को रप्येर पार्टस व आरसी असेम्बलीज की उपलब्धता के आधार पर आन रोड करना होगा।
- प्रत्येक कार्य दिवस पर वाहनो को शिड्यूल के आधार पर मार्ग पर संचालित करना होगा।
- मार्ग पर संचालन के दौरान यन्त्र दोष युक्त वाहन(ब्रेक डाउन वाहन) को सूचना प्राप्ति के 12 घण्टे के भीतर अटेण्ड करना अनिवार्य होगा। इसके लिए श्रमिक को वाहन तक पहुचने के लिए निगम द्वारा पास/ अन्य व्यवस्था की जावेगी।
- प्रबन्धक(संचालन) द्वारा नियत प्राथमिकता के आधार पर ही वाहनो का कमवार कार्य करना होगा।
- वाहन दोष पंजिका में चालक द्वारा अंकित वाहन दोषो को प्राथमिकता के आधार पर दुर करना होगा।
- यन्त्र दोष निवारण हेतु दी गई असेम्बली यदि श्रमिक ही लापरवाही से डेमेज हो जाती है तो फर्म को देय भुगतान में से असेम्बली की राशि वसूल कर ली जावेगी।
- समस्त कार्य आगार कार्यशाला में ही करने होगे। कार्यस्त सभी श्रमिक प्रबन्धक (संचालन) के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
- मरम्मत के दौरान प्रयोग मे आने वाली प्लांट व मशीनरी वैल्डिंग मशीन, कमप्रेशर आदि निगम द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।
- उक्त कार्य पंजीकृत ठेकेदार/फर्म/ संस्था के माध्यम से ही कराये जावेंगे।
- अनुबन्ध फर्म/संस्था को भुगतान उसके द्वारा किये गये कार्यो के आधार पर ही किया जावेगा न कि अवधि के आधार पर।
- उक्त कार्य की अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष ही होगी जिसे समान शर्तो/दरो के आधार पर कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में आगामी ३० माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
- कार्य नहीं करने/ कार्य में अनियमितता होने की स्थिति में निरस्त कि.मी. के आधार पर प्रति कि.मी. स्थाई लागत (Fixed cost) पेनल्टी वसूल की जावेगी।
- आगार कार्यशाला परिसर में कार्य के दौरान ठेकेदार के किसी भी श्रमिक के दुष्टीनाग्रस्त/ मृत्यु होने की स्थिति में निगम प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- ठेकेदार के किसी भी श्रमिक की उपरिथिति पंजिका/ आवक जावक पंजिका निगम द्वारा संधारित नहीं की जावेगी।
- कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में 15 दिवस के पूर्व नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
- ठेकेदार के किसी भी श्रमिक को ड्यूटी पास नि: शुल्क यात्रा पास, पहचान पत्र अथवा किये गये कार्य का कोई भी प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में जारी नहीं किया जावेगा।
- ठेकेदार के किसी भी श्रमिक को व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

18. ठेकेदार के किसी भी श्रमिक को आगार कार्यशाला से किसी भी प्रकार का कोई भी सामान जारी नहीं किया जावेगा।
19. वित्तीय नियमों के तहत अनुबन्ध के समय 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि डी.डी./बैंक गारण्टी के रूप जमा करायी जावेगी।
20. सफल निविदादाता की धरोहर राशि को सुरक्षा में समायोजित किया जा सकता है। असफल निविदादाता की धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर लौटायी जा सकेगी।
21. निगम में जमा धरोहर राशि व सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
22. प्रस्तुत देयको में से नियमानुसार सेवाकर आदि वैधानिक कटौतियां की जावेगी।
- 23- किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सम्बन्धित आगार के अनुसार होगा।

Hely
पुरुष प्रबन्धक
रा. रा. ए. ए. नियम
प्रतापगढ़ /

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, प्रतापगढ़ आगार

अनुबन्ध पर कार्य हेतु टेंडर में शामिल किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य

1. **प्रतिदिन वाहन चैकिंग** – वाहन की चैकिंग निर्धारित प्रारूपानुसार की जावें।
2. **1500 कि.मी. डॉकिंग** – इसके अन्तर्गत वाहन के बड़े प्राईमरी-एयर फिल्टर, कार्टिज फिल्टर को बाहर निकाल कर कम्प्रेसड एयर से विधिवत साफ कर पुनः फिटमेंट किया/बदला जाना व प्रोपलर शाफ्ट के नट बोल्ट चैक करना तथा समरत प्रकार के इंजिन ऑयल गेज चैक एंव पूर्ण करना समिलित हैं। साथ ही टायरों में नियमित रूप से हवा चैक करना।
3. **16,000–18,000 कि.मी. डॉकिंग** – इसके अन्तर्गत इंजिन ऑयल चैंज करना, ऑयल फिल्टर चैंज करना, डीजल फिल्टर/वाटर सेपरेटर बदल कर प्रणाली से एयर निकालना व समरत प्रकार के ऑयल/फ्लूल को चेक करना, पूर्ण करना व रिसाव को रोका जाना समिलित है।
4. **40,000 कि.मी. डॉकिंग** – इसके अन्तर्गत चारों छीलों के बेयरिंग निकालकर साफ कर व हब प्लै सेट की जाकर पुनः ग्रीस भरकर एडजेरस्ट करते हुए पुनः फिट किया जाकर ब्रेक लाईनर बदलना। क्लज प्लेट, प्रेशर प्लेट खोलकर चैक करना व आवश्यकता हो तो बदली करना व वाहन के अन्दर व बाहर से अन्डर चेसिस धुलाई करना।
5. **इंजन बदलना** – इसके अन्तर्गत इंजन बदलने हेतु फन्ट शो, जाली बम्पर खोलकर रेडियेटर खोलना, जी बाक्स खोलकर व नीचे उतार कर इंजन को चेसिस से घोड़ियों पर सुरक्षित उतारा जाकर ऑयल ड्रेन कर समरत कनेक्शन जोड़ इंजन में ऑयल डालकर व हटाये गये समरत कनेक्शन हटाकर जाकर चैन पुली ब्लॉक से नीचे सुरक्षित उतारना व पुनः इंजन चेसिस पर फिट किया जाकर समरत कनेक्शन जोड़कर जी बाक्स फिटकर क्लच पेडल की प्ले एडजस्ट करते हुए इंजन में ऑयल डालकर व हटाये गये समरत कनेक्शन जोड़कर विधुत प्रणाली से जोड़ते हुए रेडियेटर फिट किया जाकर उसमें कूलेंट व पानी भरकर वाहन को संचालन योग्य (Road worthy) किया जाकर नियमानुसार ऑन-ट्रेस्ट कर मार्ग पर ताने योग्य किया जाना समिलित है।
6. **क्लच कार्य** – इसके अन्तर्गत प्रथम क्लज की सेटिंग, ब्लीडिंग किया जाना, दोनों मार्टर सिलैण्डर के किट बदली किया जाना। जी बाक्स उतार कर प्रेशर प्लेट खोलते हुए क्लच प्लेट बदली करना, पुनः समरत फिटिंग करते हुए जी बाक्स फिटकर वाहन के संचालन योग्य बनाना समिलित है।
7. **टायर पंचर बनाकर बदलना** – इसके अन्तर्गत वाहन के पंचर टायर को ठीक कर वाहन में पुनः लगाना एंव आवश्यकतानुसार टायर रोटेड करना।
8. **गीयर बॉक्स बदलना, उतारना व चढाना** – इसके अन्तर्गत वाहन से जी बाक्स खोलकर उतारकर, क्लज प्लेट एडजेरस्ट करना, क्लज प्लेट, प्रेशर प्लेट बदलना व प्ले एडजेरस्ट करते हुए जी बॉक्स पुनः फिट कर शाफ्ट लगाते हुए वाहन को (Road worthy) संचालन योग्य करना समिलित है।
9. **एयर संस्पेशन कार्य** – इसके अन्तर्गत एयर संरपेशन प्रणाली को दुरुस्त करना दोनों बाउल बदलना, शोकर बदलना, लेवलिंग वाल्व बदलना, एडजेरस्ट कर बदलना

समिलित है उक्त कार्य के तहत छील खोलना व पुनः फिटकर वाहन को संचालन योग्य बनाया जाना समिलित है।

10. **वैबलर सर्पेशन कार्य** – इसके अन्तर्गत वाहन की रीयर एंव फन्ट सर्पेशन प्रणाली के तहत कमानी के पत्तों के टुटने पर वाहन से कमानी उतारा जाना सेन्टर वोल्ट बदलकर पत्ते बदलकर पुनः तैयार कर वाहन में फिट करना व वाहन को संचालन योग्य बनाया जाना समिलित है।
11. **स्टैयरिंग पम्प बदलना** – इसके अन्तर्गत रेडियेटर खोलकर स्टेयरिंग सिस्टम का तेल निकालकर पम्प को इंजन से विलग करते हुए आरसी पम्प लगाकर पुनः रेडियेटर फिट किया जाकर प्रणाली में तेल व रेडियेटर में पानी व कुलेंट डालकर वाहन को संचालन योग्य बनाया जाना समिलित है।
12. **रेडियेटर उतारना व चढाना** – इसके अन्तर्गत वहन से कुलेंट मिश्रित पानी को सुरक्षित निकालते हुए रेडियेटर खोलकर मरमत सुदा/ नया रेडियेटर बदलना/ जरूरत होने पर समस्त प्रकार के होज पाईप बदलना व पुनः फिट करने के पश्चात् पानी व कुलेंट डाला जाकर वाहन को संचालन योग्य बनाना समिलित है।
13. **पम्प व इंजेक्टर बदलने का कार्य** – इसके अन्तर्गत रेडियेटर खोलने व फिट करने के साथ- साथ इंजेक्टर खोलकर आरसी इंजेक्टर लगाना, पम्प खोलकर आरसी पम्प लगाते हुए सिस्टम से एयर निकालकर वाहन को स्टार्ट किया जाना समिलित है।
14. **विधुत कार्य** – इसके अन्तर्गत सेल्फ, अल्टरनेटर, बैट्री, लाइटो, चेसिस वायरिंग व सगरत विधुत प्रणाली को संचालन योग्य बनाये रखना।
15. **पापलर शाफ्ट कार्य** – इसके अन्तर्गत पापलर शाफ्ट को वाहन से खोलना, यूजे कॉरा बदलना व सेन्टर बेयरिंग एंव ब्रेकिट बदला जाना व शापटो का पुनः फिटमेंट किया जाना समिलित है।
16. **काउन पिनीयन बदलने का कार्य** – इसके अन्तर्गत वाहनों से काउन पिनीयन सुरक्षित वाहन से निकालकर व आरसी काउन पिनीयन असेम्बली बदलकर ऑयल भरकर विधिवत वाहन को संचालन योग्य बनाया जाना समिलित है।
17. **80,000 किलोमीटर** – बिन्दु सं 4 के अनुसार 40000 कि.मी. डॉकिंग के समस्त कार्य करना व इंजन ट्यून-अप (टेपिट एडजोस्ट करना) व डिफेंशियल व गीयर बाक्स का आईल चेंज करना, कुलेंट निर्देशानुसार चैंज करना व पावर स्टेयरिंग ऑयल भय फिल्टर बदली किया जाकर टायर कसकर ब्रेक सेट करते हुए वाहन को संचालन योग्य बनाना। कलच प्लेट खोलकर चैक करना एंव आवश्यकता हो तो बदलना।
18. **माईनर बॉडी रिपेयर कार्य** – वाहनों की बॉडी से सम्बन्धित माईनर रिपेयर कार्य करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार आगार स्तर से किये जाने वाले अन्य सभी कार्य समिलित किये जावे।

JEM
मुख्य प्रबन्धक
एस ए ए नियम
प्रतापगढ़

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, प्रतापगढ़ आगार

अनुबन्ध पर कार्य हेतु टेंडर में शामिल किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य

1. पुराने इंजन उतार कर आर.सी. इंजन लगाना
2. पुराने गियर उतार कर आर.सी गियर लगाना
3. क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बदली करना
4. वाहन की आगे पीछे की कवानी बदली करना
5. टायरों को समय पर रोटेशन करना पंचर निकालना, व हवा का दबाव राही रखना
6. 40000 डटकिंग कार्य करना
7. I) पयुल इन्जेक्शन पम्प
8. II) इन्जेक्टर बदली करना
9. III) इंजन ट्यून अप
10. काउन कज असेम्बली बदली करना
11. वाटर पम्प बदली करना
12. रेडियेटर असेम्बली बदली करना
13. पावर स्टेयरिंग पम्प बदली करना
14. इंजन रिपेयरिंग कार्य
 - 1 हैड गेस किट
 - 2 टेपेट लावर रिंग
 - 3 पिस्टन एंव लाईनर बदली करना
 - 4 इंजन मेन ऑइल सील
 - 5 स्टेयरिंग ऑयल सील
15. वसो पर रंग रोगन व पेंटिंग
16. सीट रिपेयर / सीटो का कार्य
17. वाहनों का इलेक्ट्रिक कार्य
18. वाहनों पर माईनर डेटिंग कार्य
19. एयर कम्प्रेशर बदली करना
20. एयर कम्प्रेशर रिपेयरिंग (रिंग जोब),
21. टाईमिंग प्लेट ऑइल सील
22. टाईमिंग प्लेट पेकिंग आउटर
23. टाईमिंग प्लेट पेकिंग ईनर
24. टर्बो चार्जर बदली करना
25. सेल्फ स्टार्टर बदली करना
26. अल्टरनेटर बदली करना
27. सेन्टर वेरिंग बदली करना एंव साफ्ट कास बदली करना
28. फेन वेल्ट और टेंशनर बदली करना

JEM
मुख्य प्रबन्धक
ए.ए.ए.ए. नियम^{२०१३}
प्रतापगढ़